संख्या– /XXVIII-3-24-E-File No.42632/22

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
   उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0–03 देहरादून: दिनांक 08 नवम्बर, 2024

विषय–उत्तराखण्ड कैडर के अखिल भारतीय सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 I/31440/2022, दि0 18 अगस्त, 2022 द्वारा उत्तराखण्ड कैडर के अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 5(iv) में The All India Services (Medical Attendence) Rules, 1954 के नियम 14 के प्राविधानुसार अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं उनके आश्रितों को विशेष परिस्थितियों में चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु शिथिलीकरण भी अनुमन्य है। उक्त शासनादेश के समस्त प्राविधान शासनादेश संख्या I/114478, दिनांक 13 अप्रैल, 2023 द्वारा अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके आश्रितों चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में भी अनुमन्य किये गये हैं।

2. उत्तराखण्ड कैडर के अखिल भारतीय सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के अत्यंत गंभीर बीमारियों/Sequelae of Disease से ग्रसित होने पर चिकित्सा उपचार/चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं होम मेडिकल केयर में व्ययित धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य CGHS की दरें पर्याप्त न होने संबंधी प्रशासकीय विभागों के प्रस्ताव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्राप्त होने पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड एवम् प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून की अध्यक्षता में गठित विभिन्न विषय विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा के कम में Sequelae of Disease की परिभाषा, Sequelae of Disease/अत्यन्त गम्भीर बीमारियों के अन्तर्गत आने वाले रोगों के चिन्हीकरण एवं गम्भीरता की श्रेणी में उनका वर्गीकरण, इस प्रकार के प्रकरणों की जांच/अनुशंसा हेतु उच्च स्तरीय चिकित्सा समिति (रोगों के विषय–विशेषज्ञों की) का गठन, ऐसी बीमारियों में वास्तविक व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु देय शिथिलीकरण की सीमा एवं दरें और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत नर्सिंग होम केयर हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं बनाये जाने पर सहमति बनी।

इस सम्बन्ध में The All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 के प्राविधानों के आलोक में एवं सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के कम में उत्तराखण्ड कैडर के अखिल भारतीय सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के अत्यंत गंभीर बीमारियों/Sequelae of Disease से ग्रसित होने पर विषय विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा (रोगों के चिन्हीकरण/वर्गीकरण के उपरान्त) चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु देय शिथिलीकरण की सीमा एवं दरों का निर्धारण, इस प्रकार के प्रकरणों की जांच/अनुशंसा हेतु उच्च स्तरीय चिकित्सा समिति (रोगों के विषय–विशेषज्ञों की) का गठन एवम् होम मेडिकल केयर हेतु मानक संचालन प्रकिया, जो इस आदेश के परिशिष्ट–1 एवं 2 पर संलग्न है, की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. उक्त आदेश को शासनादेश संख्या–31440/2022, दिनांक 18 अगस्त, 2022 एवं शासनादेश संख्या–114478, दिनांक 13 अप्रैल, 2023 में इस सीमा तक परिवर्द्धित/संशोधित समझा जाय। शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

5. यह आदेश वित्त विभाग (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित संख्या–I/251821/2024, दिनांक 06 नवम्बर, 2024 में प्रदत्त सहमति के कम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या–I/252527/XXVIII-3-24-E-File No.42632/22, तददिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून/हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

13. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

14. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

15. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

16. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जसविन्दर कौर

(जसविन्दर कौर)

उप सचिव।

शासनादेश संख्या–5/252523/XXVIII-3-24-e-File/comp. no.42632/22 का

परिशिष्ट–01

राज्य में सेवायोजित अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के **Sequelae of Disease** से ग्रसित होने अथवा अत्यन्त गम्भीर बीमारियों के अन्तर्गत आने वाले रोगों से ग्रसित होने पर इस प्रकार के रोगों का चिन्हीकरण एवं गम्भीरता की श्रेणी में उनका वर्गीकरण एवं इस प्रकार की अत्यन्त गम्भीर बीमारियों से ग्रसित प्रकरणों की जांच हेतु उच्च स्तरीय चिकित्सा समिति (रोगों के विषय–विशेषज्ञों की) का गठन, **Sequelae of Disease**/अत्यन्त गम्भीर बीमारियों जिसमें वास्तविक व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु देय शिथिलीकरण की दरों के निर्धारण हेतु मानक संचालन प्रकिया (SOP) –

1– **Sequelae of Disease**:– Sequelae of Disease से आशय एक अस्थायी बीमारी/पूर्व बीमारी/बीमारी के उपरान्त चोटिल होने, चिकित्सा अथवा आघात से उत्पन्न होने वाले रोग के दीर्घकालीन प्रभाव/जटिलता से सम्बन्धित स्थिति है। Sequelae का अर्थ–अगली कड़ी है यथा क्रोनिक किडनी रोग मधुमेह का परिणाम हो सकता है। गर्दन दर्द (व्हिपलैश मोच) अथवा सर्वाइकल हड्डी पर आये आघात का परिणाम होता है। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी होने पर सर दर्द, चक्कर आना, चिन्ता, उदासीनता, अवसाद, संज्ञानात्मक हानि, उन्माद, मनोविकृति आदि।

2– **अत्यन्त गम्भीर बीमारियों के अन्तर्गत आने वाले रोगों का चिन्हीकरण एवं गम्भीरता की श्रेणी में उनका वर्गीकरण** :– गम्भीर बीमारियों से आशय है कि जिनमें जीवनपर्यन्त चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता हो। इस सम्बन्ध में गठित विशेषज्ञ समिति–राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून द्वारा गम्भीर बीमारियों का वर्गीकरण निम्नवत किया गया है:–

(1) माईल्ड (हल्का)
(2) मॉडरेट (मध्यम श्रेणी)
(3) सीवियर (गम्भीर)
(4) हाई सीवियर (अत्यन्त गम्भीर)
(5) मॉरिबंड (मरणासन्न)

3. Sequelae of Disease **अथवा अत्यन्त गम्भीर बीमारियों से ग्रसित प्रकरणों की जांच हेतु उच्च स्तरीय चिकित्सा समिति (रोगों के विषय–विशेषज्ञों की) का गठन**:– Sequelae of Disease अथवा अत्यन्त गम्भीर बीमारियों के अन्तर्गत रोग की गम्भीरता/स्तर का प्रभाव व्यक्ति विशेष (Person to Person Variable) पर निर्भर होने के कारण रोग की जटिलता को श्रेणीबद्ध (Mild, Moderate, Severe, Highly Severe, Moribund) किये जाने हेतु उस रोग से सम्बन्धित विषय–विशेषज्ञों की अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा। विषय विशेषज्ञों का निर्धारण गढ़वाल मण्डल के प्रकरणों हेतु प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून और कुमाऊं मण्डल के प्रकरणों हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी द्वारा किया जायेगा।

संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता मे गठित विषय–विशेषज्ञों की समिति द्वारा अत्यन्त गम्भीर बीमारियों के वर्गीकरण की संस्तुति के उपरांत ही उपचार में व्यय हुए वास्तविक व्यय के सापेक्ष प्रतिपूति/शिथिलीकरण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमन्य किया जायेगा।

4– Sequelae of Disease/अत्यन्त गम्भीर बीमारियों जिसमें वास्तविक व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु देय शिथिलीकरण की दरें निम्नवत होंगी :–

क्र0 सं0	गम्भीर बीमारी का वर्गीकरण	शिथिलीकरण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था
1.	माईल्ड (हल्का)	वर्तमान व्यवस्थानुसार प्रभावी **CGHS** दरों पर।
2.	मॉडरेट (मध्यम श्रेणी)	वर्तमान व्यवस्थानुसार उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष CGHS दरों पर अनुमन्य की गयी धनराशि + CGHS व्यवस्थानुसार अदेय की गयी धनराशि का 25 प्रतिशत् अतिरिक्त।
3.	सीवियर (गम्भीर श्रेणी)	वर्तमान व्यवस्थानुसार उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष CGHS दरों पर अनुमन्य की गयी धनराशि + CGHS व्यवस्थानुसार अदेय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत् अतिरिक्त।
4.	हाईली सीवियर (अत्यन्त गम्भीर श्रेणी)	वास्तविक व्यय का 85 प्रतिशत्।
5.	मॉरिबंड (मरणासन्न)	वास्तविक व्यय का 100 प्रतिशत्।

5– नर्सिंग होम केयर हेतु नर्सिंग स्टाफ को प्रतिदिन के आधार पर किया जाने वाला भुगतान उपनल की कुशल कार्मिकों हेतु अनुमन्य मानदेय की दरों का संज्ञान लेते हुए होम बेस्ड मेडिकल केयर की मानक संचालन प्रकिया के प्राविधानों के सीमान्तर्गत भुगतान किया जायेगा।

6– Sequelae of Disease अथवा अत्यन्त गम्भीर बीमारियों के निर्धारण हेतु रोग से सम्बन्धित विषय–विशेषज्ञों जिनका निर्धारण गढ़वाल मण्डल के प्रकरणों हेतु प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून और कुमाऊं मण्डल के प्रकरणों हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी द्वारा प्रत्येक 06 माह में एक बार प्रकरण विशेष में समिति द्वारा रोग की गम्भीरता एवं वर्गीकरण का पुनः आंकलन (Review) किया जायेगा जिससे प्रकरण विशेष में रोगी द्वारा लिये जा रहे उपचार से रोग की गम्भीरता/श्रेणी में हो रहे परिवर्तन (Whether Patient is recovering or his condition is getting worse) का आंकलन हो सके, जिसके आधार पर उपचार में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु देय शिथिलीकरण की सीमा निर्धारण हो सके।

6– अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दावों का निस्तारण संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा।

राज्य में सेवायोजित अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के होम मेडिकल केयर हेतु निम्नानुसार मानक संचालन प्रकिया (SOP) निर्धारित की जाती है :–

SOP for Medical Reimbursement for Home Based Medical Care Members of the All India Services – Working officers and their dependents/Retired Officers and their Dependents

Authorized Medical Attendant (AMA)– means the medical Officer appointed by the Government of State in which the station or district is situated to attend to its officers in the station or district to which the member of the service posted or where the member of the Service falls ill, and includes a medical officer who is attached to any hospital or any Govt. Health facility in the station at which or the district in which the member of the Service falls ill.

Medical attendance- means attendance in a Government hospital or at the residence of a member of the Service or at the consulting room maintained by the authorized medical attendant by arrangement with him and includes;

(i) Such pathological, bacteriological, radiological or other methods of examination for the purposes of diagnosis as are available in any Government hospital or laboratory and are considered necessary by the authorized medical attendant, and

(ii) Such consultation with any other medical officer or specialist in the service of (the Central Government or any State Government) as the authorized medical attendant certifies to be necessary to such extent and in such manner as the medical officer or the specialist may, in consultation with the authorized medical attendant, determine.

Member of the Service (MOS) – means a member of an All-India Services, as defined in section 2 of the All India Services Act, 1951, Here, the member includes Working Officers and their dependents/Retired Officers and their Dependents of All India Services.

Nurse – means a qualified nurse holding a certificate or a diploma recognized by the Chief Medical Officer of the District or a registered nurse in a State in which there is statutory provision for the registration of nurses.

Patient – means a member of the Service who requires medical attendance and treatment.

Family means – Husband or wife as the case may be of the member of the Service; and the parents, sisters, widowed sisters, widowed daughters, minor brothers, children and step-children wholly dependent upon the member of the Service and are normally residing with such member including dependent brothers, dependent divorces/separated daughters and step- mother.

1. Medical attendance by person other than authorized medical attendant:-

1(1) If the authorized medical attendant is of the opinion that the case of a patient is of such a serious or special nature as to require medical attendance by some person other than himself

he may, with the approval of the Chief Medical Officer of the District (which shall be obtained beforehand unless the delay involved entails danger to the health of the patient);

a. Send the patient to the nearest specialist or other medical officer as provided for; "medical attendance" means attendance in a Government hospital or at the residence of a MOS or at the consulting room maintained by the authorized medical attendant by arrangement with him and includes;
i) such pathological, bacteriological or other methods of examination for the purpose of diagnosis and are considered necessary by the authorized medical attendant, and ii) such consultation with any other medical officer or specialist in the service of (Central Government or any State Government) as the authorized medical attendant certifies to be necessary to such extent and in such manner as the medical officer or the specialist may, in consultation with the authorized medical attendant, determine, by whom, in his opinion, medical attendance is required for the patient; or

b. if the patient is too ill to travel, summon such specialist or other medical officer to attend upon the patient.

1(2) Where a patient is sent to a specialist or other medical officer, he shall, on production of a certificate in writing by the authorized medical attendant in this behalf, be entitled to travelling allowance for the journey to and from the headquarters of the specialist or other medical officer.

1(3) A specialist or other medical officer summoned under clause (b) shall, on production of a certificate in writing by the authorized medical attendant in this behalf, be entitled to travelling allowance for the journey to and from the place where the patient is.

1(4) Provided that where special nursing forms a part of such treatment, the amount to be reimbursed in respect of such special nursing shall be limited to the amount which is excess of 25 percent of the basic pay of the member of the Service for the period of a special nursing:

Provided that the Government shall reject any claim if it is not satisfied with genuineness on facts and circumstances of each case, after giving an opportunity to the claimant of being heard in the matter; while doing so, the Govt. shall communicate to him the reasons, in brief, rejecting the claim, and the claimant may submit an appeal to the Govt. within a period of forty-five days of the date of communication of the order rejecting his claim.

1(5) if the patient has to proceed to a station other than at which he falls ill for the purpose of treatment under sub-rule (1), he shall, on production of a certificate in writing from the authorized medical attendant in this behalf, be entitled to travelling allowance for the journey to and from the place at which such treatment is received. Such travelling allowance shall also be admissible for an attendant, if the authorized medical attendant certifies in writing that it is unsafe for the patient to travel unattended and that an attendant is necessary to accompany the patient to the place of treatment and back.

2. Treatment at residence: -

(1) If the authorized medical attendant is on opinion that owing to the absence or remoteness of a suitable hospital or to the severity of the illness a member of the Service cannot be given treatment as provided in sub-rule (1) of rule1, he may receive treatment at his residence.

(2) Where a member of the Service is receiving treatment at his residence under sub-rule (1) he shall be entitled to receive towards the cost of the treatment incurred by his a sum equivalent to the cost of such treatment as he would have been entitled to receive free of charge, under these rules if he had not be treated at his residence.

(3) A claim for any amount admissible under sub-rule (2) shall be accompanied by a certificate in writing by the authorized medical attendant,

a. his reasons for the opinion referred to in sub-rule(1);

b. the amount of the cost of similar treatment referred to in sub-rule(2)

3. Charges for services other than medical attendance to be paid:-

(1) Any charge for service rendered in connection with, but not included in, medical attendance on, or treatment of, a patient entitled, free of charge, to medical attendance or treatment under these rules, shall be determined by the authorized medical attendant and paid by the patient.

(2) If any question arises as to whether any service is included in medical attendance or treatment, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

(3) Countersignature of certificate for reimbursement of travelling allowance – The government may by general or special order direct that any certificate required by these rules to be given by the authorized medical attendant and the controlling officer for the purpose of travelling allowance of a patient shall be countersigned by the nodal person at the DG Medical Health and Family Welfare of the State.

4. Reimbursement rules:-

The expenses paid by the MOS for the treatment will be reimbursed at the prevailing CGHS rates, in case the rates of the services are not available then the AIIMS rate will be applicable otherwise the actual rates incurred will be reimbursed.

The nodal person at the DG Medical Health and Family welfare will be responsible for checking and verification of the rates.

The sanction letter will counter signing of the mandatory form of medical bills, after verification of the rates will be forwarded to designated section of the Govt. of Uttarakhand for the payment to the MOS.